रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256181 CG-DL-E-08082024-256181

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/श्रावण 16, 1946

No. 442]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 481(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(ङ) के अनुसरण में, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, श्री संजय कुमार, पूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर एतद्दवारा श्री वेंकटेसपित एस., निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

4966 GI/2024 (1)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2024

G.S.R. 481(E).—In pursuance of sub-section 1 (e) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R.181(E) dated the 14th March, 2023, the Central Government hereby appoints Shri Venkatesapathy S., Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Sanjay Kumar, former Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Cochin Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.